वर्ष 4, अंक 78 रु. 1/-

राष्ट्र महिला

अप्रैल 2006 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

भारतीय समुद्रपारीय कार्य मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक संवेदीकरण और जागरुकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है कि दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों से विवाहित भारतीय महिलाओं के साथ धोखा, उत्पीड़न नहीं किया जाता अथवा उन्हें परित्यक्त नहीं किया जाता। इस निर्णय का इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हार्दिक स्वागत है कि बड़ी संख्या में महिलाएं कपटपूर्ण विवाहों का शिकार हो रही हैं।

अकेले पंजाब में 15,000 से अधिक पीड़ित महिलाएं हैं जो कपटपूर्ण अनिवासी भारतीयों की "अवकाश पत्नियों" के नाम से जानी जाती हैं। राज्य में अनिवासी भारतीयों के साथ 80 प्रतिशत विवाह असफल हो जाते हैं और पति अपनी दुल्हनों को अपने साथ ले जाने के लिए कभी नहीं लौटते।

इस शोचनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय विवाहों पर एक राष्ट्रीय परामर्श के माध्यम से संभावी दुल्हनों तथा उनके परिवारों को विदेशों में रहने वाले भारतीयों के साथ विवाह करने से पूर्व अपनाये जाने वाले रक्षोपायों के बारे में शिक्षित करने के लिए कदम उठा रहा है। दिल्ली तथा अन्य महत्वपूर्ण राज्यों में लोगों

चर्चा में विदेशी विवाह

को शिक्षित करने के लिए मंत्रालय अंग्रेजी में तथा पाँच या छः देशी भाषाओं में एक पुस्तिका भी तैयार कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय महिलाओं को सलाह देने के लिए एक 'महिला कक्ष' की स्थापना करेगा। इतना ही नहीं, जो महिलाएं यह महसूस करती हैं कि भगोड़े अनिवासी भारतीय दुल्हों ने उनके साथ अन्याय किया है, वे पूरे ब्यौरे के साथ निकटवर्ती पारपत्र कार्यालय से सम्पर्क कर सकती हैं और उनकी शिकायतों को देश के सम्बन्धित विभाग को भेजा जायेगा।

मंत्रालय ने एक महिला सलाहकार समूह का गठन करने का प्रस्ताव भी रखा है जिसमें मंत्रालय के प्राख्यात व्यक्तियों और सभी पणधारियों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जायेगा जो मंत्रालय को समय-समय पर महिला मुद्दों पर सलाह देंगे।

मंत्रालय सुरक्षा तंत्र की स्थापना करने और इस सामाजिक समस्या का समाधान करने के लिए सामाजिक समर्थन प्रणाली में परिवर्तन लाने के लिए विदेशी दूतावासों तथा विधि निर्माताओं की भागीदारी से राज्यों तथा गैर-सरकारी संगठनों का सक्रिय समर्थन भी ले रहा है।

तथापि अन्तिम विश्लेषण यह है कि युवतियों को अमीर अनिवासी भारतीय दुल्हों के प्रलोभन में नहीं आना चाहिये। उन्हें स्वयं ऐसे विवाह करने से पूर्व खोजी पूछताछ करनी चाहिए।

शाबाश राष्ट्रीय महिला आयोग

एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या श्रीमती निर्मला वेंकटेश पुलिस के साथ जिला कोलार के गौरीबिदानूर गांव में पहुंची और एक महिला को आजाद किया जिसको उसके पति ने पिछले 16 वर्षों से जारकर्म की आशंका में बंदी बना रखा था। खूंखार कुत्तों का एक समूह बाहर निगरानी रखता था ताकि कोई अपरिचित व्यक्ति अन्दर न आ सके।

सदस्या निर्मला वेंकटेश (दायें) छुड़ाई गई महिला के साथ

बलात्कार की पीड़ितों के लिए राहत योजना

राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक प्रारूप प्रस्तुत किया है जिसमें प्रस्ताव है कि अभियुक्त के विरुद्ध मामले का अनुसरण करने के लिए वित्तीय सहायता देने के अतिरिक्त बलात्कार पीड़ितों को कम से कम तीन महीने के लिए निर्वाह व्यय दिया जाये। इस योजना की घोषणा केन्द्र सरकार द्वारा शीघ्र ही किये जाने की संभावना है।

प्रस्ताव के अनुसार पीड़ित को अभियुक्त की दोषसिद्धि तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी; उस पर एक बार प्रहार की पुष्टि होने पर वह राहत की पात्र होगी।

यह प्रस्ताव उच्चतम न्यायालय के इस आशय के निर्देश के बाद आया है कि केन्द्र सरकार बलात्कार पीड़ितों के लिए एक क्षतिपूर्ति योजना बनायेगी। आयोग ने कानूनी विशेषज्ञों, महिला अधिकार सरगनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के परामर्श से ये प्रस्ताव तैयार किये हैं।

केन्द्रीय सरकार ने आरंभ में इस योजना के लिए 320 करोड़ रुपये देने का आश्वासन दिया था। बलात्कार पीड़ित राहत और पुनर्वास कोष की यह राशि जिला समाहर्ताओं के पास रखी जायेगी और वे ही इसे वितरित करेंगे।

यदि बलात्कार पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो राहत की राशि उसके परिवार के सदस्यों को दी जायेगी। यह राशि मामले की गंभीरता और परिवार की अर्थव्यवस्था में पीड़ित की भूमिका को ध्यान में रखते हुए एक लाख रुपये से पाँच लाख रुपये तक हो सकती है।

भाग्य लक्ष्मी योजना

कर्नाटक सरकार ने 234 करोड़ रुपये की एक 'भाग्य लक्ष्मी' योजना की घोषणा की है जिसके तहत 31 मार्च, 2006 के पश्चात् पैदा हुई बालिका 10,000 रुपये लेने की पात्र होगी जिसका भुगतान 18 वर्ष बाद किया जायेगा। एक ऐसे राज्य में जहां पुरुष-महिला अनुपात 1000 : 966 है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को जहां एक बालिका जन्म लेती है, "नैतिक उत्साह" देना है और उसका भविष्य सुरक्षित करना है।

उत्पीड़न समितियों पर आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों से रिपोर्ट मांगी है कि क्या उन्होंने उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार यौन उत्पीड़न की शिकायतों को निपटाने के लिए समितियों का गठन किया है। यह कार्यवाही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक छात्रा के साथ हाल ही में कथित छेड़छाड़ के आलोक में की गई है।

महिला आयोग विधेयक मणिपुर में पारित

मणिपुर विधानसभा ने मणिपुर राज्य महिला आयोग विधेयक, 2006 सर्वसम्मति से पारित कर दिया है।

इस विधेयक में एक आयोग की स्थापना के लिए कानून बनाने की मांग की गई है जिसमें एक अध्यक्षा, तीन सदस्य और एक सदस्य सचिव एवं सहायता करने वाले अधिकारी और कर्मचारी होंगे।

आयोग ने अंजलि की शिकायत पर कार्यवाही की

बर्खास्त वायु सेना अधिकारी अंजलि गुप्ता द्वारा दायर शिकायत का संज्ञान करते हुए, जिसमें अंजलि गुप्ता ने आरोप लगाया था कि उसकी यौन उत्पीड़न की शिकायत पर उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की, राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में एयर ऑफीसर कमांडिंग-इन-चीफ, हैडक्वार्टर प्रशिक्षण कमान, बंगलौर से एक की-गई कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है। वायु सेना प्राधिकारियों से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए एक शिकायत समिति के गठन के बारे में उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के बारे में एक रिपोर्ट भेजने का अनुरोध भी किया गया है।

आयोग ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की निंदा की

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अनिवार्य विवाह पंजीकरण का विरोध करने के लिए आलोचना की है। आयोग का कहना है कि ऐसे पंजीकरण से एक महिला को अपना विवाह सिद्ध करने का एक कानूनी प्रमाण मिलेगा और इससे किसी वैकल्पिक कानून का उल्लंघन नहीं होता।

कामकाजी महिलाओं की संख्या में वृद्धि

1981 के बाद महिलाओं की काम में भागीदारी की दर में निरन्तर वृद्धि हुई है। किन्तु शिक्षा और कौशलों के अभाव में श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी अभी भी काफी कम है।

भारत के महापंजीयक के अनुसार, महिलाओं की कार्य में भागीदारी की दर जो 1981 में 19.67 प्रतिशत थी बढ़कर 2001 में 25.68 प्रतिशत हो गई, यह दर ग्रामीण क्षेत्रों में 30.98 प्रतिशत जबकि शहरी क्षेत्रों में 11.55 प्रतिशत रही।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलायें मुख्य रूप से कृषकों और कृषि श्रमिकों के रूप में काम करती हैं जबकि शहरी क्षेत्रों में लगभग 80 प्रतिशत कामकाजी महिलायें घरेलू उद्योग, छोटा-मोटा व्यापार और सेवायें तथा निर्माण का काम जैसे असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं।

संगठित क्षेत्र में मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार महिला कर्मचारियों की संख्या 18.4 प्रतिशत थी जिनमें से करीब 49.68 लाख महिलायें सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में काम करती थीं। इनमें से करीब 28.12 लाख महिलाएं सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवा क्षेत्रों में काम करती थीं।

लड़कियों का केरल गिरिजाघरों में 2000 वर्ष पुरानी परम्परा को तोड़ना निश्चित

2000 वर्ष पुरानी परम्परा को तोड़ते हुए केरल में कैथलिक गिरिजाघर की लड़कियों को कुछ वेदिका कार्य करने की अनुमति देगा जो अब तक सामान्यतया लड़के करते थे।

14 वर्ष तक की आयु की लड़कियों को 'वेदिका की सेवा करने' और सामूहिक समारोहों जैसे पूजा के कार्यों में पुजारी की सहायता करने की अनुमति दी जायेगी जो सामान्यतया लड़के करते थे।

वेदिका लड़कियों को धूप जलाने, प्रार्थना में मदद करने तथा कुछ काम करने में पुजारी की मदद करने जैसे विशिष्ट कार्य करने होंगे।

शिकायत कक्ष से

आयोग को एक विधवा से, जिसकी दो अवयस्क बेटियां थीं और जो एक बालिका विद्यालय में एक सहायक अध्यापिका के रूप में काम करती थी, मनगढंत शिकायत के बहाने विद्यालय प्रबंधकों द्वारा उत्पीड़ित किये जाने की एक शिकायत प्राप्त हुई। तत्पश्चात् विद्यालय प्रबंधकों ने उसकी सेवाएं खत्म कर दीं।

इस महिला ने शिक्षा अधिकारी (बुनियादी), जिला मथुरा के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें विद्यालय के प्रबंधकों को शिकायतकर्ता की बहाली करने और उस आदेश को रद्द करने का निर्देश दिया जिसके तहत उसकी सेवायें खत्म की गई थीं। तथापि, विद्यालय ने शिक्षा अधिकारी के निर्देशों का पालन करने से इंकार कर दिया। तत्पश्चात् आयोग ने इस मामले को अपने हाथ में लिया और इस मामले में शीघ्र ही की-गई कार्यवाही रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी किया। तत्पश्चात् उक्त प्राधिकारी द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि वह आदेश जिसके तहत शिकायतकर्ता का त्यागपत्र स्वीकार किया गया था और उसकी सेवाएं खत्म कर दी गई थीं, रद्द कर दिया गया है और विद्यालय प्रबंधकों को पिछले वेतनों के भुगतान के साथ शिकायतकर्ता की बहाली करने का निर्देश दिया गया है। इस समय शिकायत करने वाली महिला उक्त विद्यालय में काम कर रही है।

पी.एन.डी.टी. कानून के उल्लंघन के लिए 3 क्लिनिक बंद

पहली बार राजधानी में भ्रूण में लड़के या लड़की का पता लगाने संबंधी कानूनों के उल्लंघन का पता लगने पर तीन क्लिनिकों को बंद कर दिया गया है और उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। यह कार्यवाही राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य की अध्यक्षता में राष्ट्रीय निरीक्षण और निगरानी समिति द्वारा मारे गये छापों के बाद की गई जिससे जन्म पूर्व निदान तकनीक (पी.एन.डी.टी.) अधिनियम के घोर उल्लंघन प्रकाश में आये।

कवयित्री सम्मेलन

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन और चित्रकला संगम द्वारा आयोजित कवयित्री सम्मेलन में मुख्य अतिथि थीं।

डा. गिरिजा व्यास सम्मेलन को सम्बोधित करती हुई

महिला पुलिस कार्यशाला

उप-सचिव श्रीमती गुरप्रीत देव ने पंजाब पुलिस अकादमी, फिल्लौर में 'समसामयिक समाज में महिला पुलिस की भूमिका और उनकी समस्यायें' पर एक कार्यशाला में भाग लिया। उन्होंने 'पुलिस में महिलाओं की समस्याओं, चुनौतियों और कल्याण' विषय पर एक प्रस्तुति पेश की। श्रोताओं में सभी स्तरों के महिला पुलिस अधिकारी थे।

श्रीमती गुरप्रीत देव कार्यशाला को सम्बोधित करती हुई

सदस्यों के दौरे

- सदस्या मालिनी भट्टाचार्य ने असम राइफल्स के कार्मिकों द्वारा तीन जनजातीय महिलाओं के कथित बलात्कार की छानबीन करने के लिए त्रिपुरा में अम्बासा का दौरा किया। उन्होंने अविलम्ब दोषियों को पकड़ने की सिफारिश की।

  श्रीमती भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल महिला आयोग की अध्यक्षा और सदस्यों से राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यक्रम 'चलो गांव की ओर' के क्रियान्वयन पर बातचीत करने के लिए भेंट की। तत्पश्चात् उन्होंने महिला अध्ययन विद्यालय, जाधवपुर विश्वविद्यालय में विकलांग महिलाओं पर आयोजित एक जन-सुनवाई में भाग लिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल महिला आयोग द्वारा घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम पर आयोजित एक कार्यशाला में भी भाग लिया।

  तत्पश्चात् वह राज्य सरकार तथा त्रिपुरा महिला आयोग के प्रतिनिधियों के साथ 'चलो गांव की ओर' कार्यक्रम पर बातचीत करने के लिए त्रिपुरा की ओर रवाना हुई। श्रीमती भट्टाचार्य ने विवाह के बहाने हरियाणा, उत्तरांचल आदि जैसे राज्यों में त्रिपुरा की लड़कियों के अवैध व्यापार पर दक्षिण त्रिपुरा के बेलोनिया स्थान पर त्रिपुरा महिला आयोग द्वारा आयोजित एक जन-सुनवाई में भाग लिया।

  श्रीमती भट्टाचार्य ने रोजगार एजेंसियों द्वारा महिला घरेलू मजदूरों के शोषण के बारे में भी पूछताछ की और क्रियान्वयन के लिए कई सिफारिशें कीं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य जन-सुनवाई में बोलते हुए

- सदस्या श्रीमती निर्मला वेंकटेश ने बंगलौर आधारित एयर डेकन के एक पायलट से विवाहित मधुलिका रस्तोगी के दहेज उत्पीड़न के मामले की जांच-पड़ताल की जिसने मधुलिका रस्तोगी को परित्यक्त कर दिया था। उन्होंने उचित कार्यवाही करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से अनुरोध किया। उन्होंने जी. शारदा के उससे काफी छोटे एक लड़के द्वारा कथित बलात्कार के मामले की भी जांच-पड़ताल की और परामर्श के पश्चात दोनों ने इस मुद्दे को सुलझा लिया।

  श्रीमती निर्मला वेंकटेश ने महिला दिवस क्रमशः रायपुर, महासुमुन्द और पिथौरा में मनाया। सदस्या ने उदयपुर में विज्ञान समिति द्वारा 'ग्रामीण/वंचित महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास के क्षेत्र और विस्तार' पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

महत्वपूर्ण निर्णय

बालिका की शिक्षा

2006-07 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के लिए कुल 1000 नये रिहायशी विद्यालय खोले जाने हैं। इस परियोजना के लिए 128 करोड़ रुपये दिये जायेंगे और वर्ष के दौरान 172 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध की जायेगी। बालिकाओं को आगे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आठवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली और एक माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश पाने वाली बालिका के नाम 3,000 रुपये जमा किये जायेंगे और 18 वर्ष की होने पर वह इस राशि को निकाल सकेगी।

बिहार में महिलाओं के लिए आरक्षण सम्बन्धी विधेयक पारित

बिहार विधान सभा ने ध्वनि मत से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने वाला एक विधेयक पारित कर दिया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस में अधिक महिलाओं की मांग की

महिलाओं को विशेष रूप से महानगरों में अधिक सुरक्षा प्रदान करने के अपने प्रयासों के अनुसरण में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास ने कुछ प्रस्ताव प्रस्तत किये हैं जिनमें प्रत्येक थाने में महिला डेस्क की स्थापना करने और पुलिस कर्मचारियों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करने के प्रस्ताव भी शामिल हैं।

डा. व्यास ने प्रधान मंत्री और गृह मंत्री को भी इस मुद्दे पर पत्र लिखे हैं।

अधिक जानकारी के लिए देखें हमारी वेबसाइट : **www.ncw.nic.in**

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4 - दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। आकांक्षा इम्प्रेशन, न्यू रोहतक रोड, सराय रोहिल्ला, नई दिल्ली-110005 में मुद्रित। सम्पादक : गौरी सेन